**संख्या-33/2021/1037/22-2-2020-17(227)/2016**

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तिलकराम पुत्र श्री सादीराम, निवासी जनपद-गाजियाबाद हाल जनपद-हापुड़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तिलकराम पुत्र श्री सादीराम, अघघनावली, थाना-बाबूगढ़, जनपद-गाजियाबाद हाल जनपद-हापुड़ का रहने वाला है। बन्दी उ0प्र0 पुलिस में बतोर आरक्षी कार्यरत था, जिसने थाना-बडौत, मरेठ में तैनाती के दौरान दिनांक 05.11.1984 को रात्रि में गस्त से लौटने के पश्चात स्वयं को आवंटित सरकारी रायफल से अन्धाधुन्ध फायरिंग की, जिससे थाना कार्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से सो रहे लोगों में से 05 लोगों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-15/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02, मेरठ के आदेश दिनांक 12.01.1995 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.08.1995 द्वारा पत्रावली पुन: विचारण हेतु मा0 सत्र न्यायालय वापस की गयी तदोपरांत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा पुन: विचारण करते हुए दिनांक 30.07.2007 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.12.2009 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 17 वर्ष, 03 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 11 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने से इन्कार नहीं किये जा सकने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी तिलकराम पुत्र श्री सादीराम द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, हापुड़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी तिलकराम (बन्दी संख्या-13434) पुत्र श्री सादीराम, निवासी जनपद-गाजियाबाद हाल जनपद-हापुड़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

**संख्या-33/2021/1037(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद/हापुड़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in